06.09.2022:—03.09.202 को राजकिय अवकाश होने के कारण आज पत्रावली पेशी मे आई। वकील उभयपक्ष उपस्थित नही आयें। वादी व वादी अधिवक्ता को बार—बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन / वकालतन उपस्तिथ नही आये। वादी व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी / अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.12.13 17:22:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner